प्रारूप—एक

(नियम 11)

कार्यालय कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

अधिसूचना

क्रमांक/790 /202403200400014/अ—82/भू—अर्जन/2023—24 कोण्डागांव, दिनांक 09/03/2024

भूमि—अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत अधिनियम 2013 की धारा 4 के अधीन गठित सामाजिक समाघात निर्धारण दल के द्वारा छत्तीसगढ़ भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (सामाजिक समाघात निर्धारण, सहमति तथा जन सुनवाई) 2016 नियम 13, 16 से 20 तक एवं 23 की कार्यवाही किये जाने हेतु नियम—11 के तहत् अधिसूचना प्रकाशित की जाती है।

नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला	तहसील	ग्राम/नगर	क्षेत्रफल		लोक प्रयोजन का विवरण
			कुल खसरा	कुल रकबा	
कोण्डागांव	केशकाल	सेन्दूरमेटा	13	0.7726 हे0	होनहेड़ से मातेंगा मार्ग निर्माण ।

उपरोक्त उल्लिखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 14.03.2024 को समय 11.00 बजे स्थान स्कूल प्रांगण— उमरादाह पर नियत की गई है, प्रस्तावित भूमि का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

एक	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	होनहेंड़ से मातेंगा मार्ग निर्माण।
दो	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	13
तीन	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	निरंक
चार	प्रभावित क्षेत्र के निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या	निरंक
पांच	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या	निरंक
छः	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	0.7726 हे.
सात	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	हॉ
आठ	परियोजना का कुल लागत	2281.26 लाख
नौ	परियोजना से होने वाले लाभ	प्रस्तावित निर्माण पूर्ण होने पर क्षेत्रवासियों को आवागमन में सुविधा का लाभ प्राप्त होगा ।
दस	प्रस्तावित समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय	5.00 लाख
ग्यारह	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	निरंक

उपरोक्त भू—अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/ संस्था को काई जानकारी/ सुझाव देना हो तो वह विहित तिथि/ समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी ।

(कुणाल दुदावत)
कलेक्टर
जिला—कोण्डागांव
एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

~ /2024

पृ.क्रमांक /799-A/202403200400014/अ–82/भू–अर्जन/2023–24 कोण्डागांव, दिनांक 09/03/2024
प्रतिलिपिः–

1. सचिव, छ0ग0शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय नया रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित्।
2. अनुविभागीय अधिकारी (रा0) एवं भू–अर्जन अधिकारी केशकाल को आवश्यक कार्यवाही हेतु मूल प्रकरण सहित प्रेषित्।
3. नियंत्रक, शासकीय मुद्राणालय राजनांदगांव छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ। कृपया इसे राजपत्र भाग–1 में प्रकाशित कर एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
4. कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स) कोण्डागांव संभाग, कोण्डागांव को सूचनार्थ। कृपया अधिसूचना का प्रकाशन दो स्थानीय समाचार पत्रों में कराकर प्रकाशित प्रति अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू–अर्जन अधिकारी केशकाल को उपलब्ध करावें।
5. डी.आई.ओ. एन.आई.सी. जिला कार्यालय कोण्डागांव को, अधिसूचना को राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के भू–अर्जन से संबंधित वेबसाईट एवं जिला के वेबसाईट में अपलोड करने हेतु एवं अपलोड किये जाने संबंधी प्रमाण पत्र अनुविभागीय अधिकारी (रा.) केशकाल को उपलब्ध कराने बाबत्।
6. तहसीलदार केशकाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित् अधिसूचना की प्रति कार्यालय तहसील, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कलेक्टर जिला कोण्डागांव, कार्यालय ग्राम पंचायत–उमरादाह, कार्यालय जनपद पंचायत–केशकाल में प्रकाशन कर पंचनामा प्रमाण पत्र की प्रति अनुविभागीय अधिकारी (रा.) केशकाल को पृथक–पृथक उपलब्ध कराने बाबत्।
7. सचिव ग्राम पंचायत–उमरादाह, तहसील–केशकाल को सूचनार्थ एवं अधिसूचना का ग्राम पंचायत–उमरादाह के सूचना पटल पर चस्पा व मुनादी करवाकर रिपोर्ट अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू–अर्जन अधिकारी केशकाल के कार्यालय में प्रस्तुत करें।
8. सामाजिक समाघात अध्ययन दल के समस्त सदस्य..

   ....

   को सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु।

(कुणाल दुदावत)
कलेक्टर
जिला–कोण्डागांव
एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग